

दिनांक 30.04.2024 को आयोजित क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त श्री ए बिपिन मेनन की अध्यक्षता में 30.04.2024 को अपराह्न 2:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से मोहाली/चंडीगढ़ क्षेत्र में निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई अनुमोदन समिति के कार्यवृत्त आयोजित किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान इकाई अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1. श्री सुरेंद्र मलिक, आईआरएस, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), नोएडा
2. श्री उत्पल आचार्य, आईटीएस, संयुक्त डीजीएफटी, लुधियाना
3. श्री सत्यपाल, सहायक आयुक्त (सीमा शुल्क), लुधियाना
4. श्री एसपीएस ढिल्लों, उप प्रबंधक, पीएसआईईसी।

इसके अलावा, बैठक के दौरान अनुमोदन समिति की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे

- i) श्री नितिन गुसा, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
- ii) श्री करण गोयल, सहायक विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र मोहाली/चंडीगढ़
- iii) श्री संदीप कुमार, निर्दिष्ट अधिकारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र मोहाली/चंडीगढ़
- iv) श्री मनीष भटनागर, प्राधिकृत अधिकारी, आरजीसीटीपी । और II, चंडीगढ़

क्योंकि गणपूर्ति उपलब्ध था, बैठक कार्यसूची के अनुसार क्रमिक रूप से आगे बढ़ी। प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

कार्यसूची मद संख्या 1:-

विषय: दिनांक 09.10.2023 को आयोजित इकाई अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

- 1.1 समिति को सूचित किया गया कि 18.3.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। अतः दिनांक 18.03.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 2:- अनुमोदन हेतु पूंजीगत वस्तुओं की सूची का प्रस्ताव (अनुमोदन मद):-

- 2.1 स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या एफ2/7/2005-ईपीजेड दिनांक 09.06.2006 - क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विकासक), एसएस नगर, मोहाली के अधिकृत संचालन के लिए माल की सूची का अनुमोदन -के बारे में।

सुरेंद्र मलिक

2.1.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विकासक) ने दिनांक 04.04.2024 के पत्र के माध्यम से 6.45 लाख रुपये के सामान की सूची प्रस्तुत की थी। इसके अधिकृत संचालन के लिए विकासक ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 12(2) के तहत परिकल्पित अभियंता प्रमाणपत्र भी संलग्न किया था।

2.1.2 सी.ई. प्रमाणपत्र यह भी प्रमाणित करता है कि (1) उक्त सामान का उपयोग एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा और (2) सामान का उपयोग विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) भवन और कार्यालय में लैंडमार्क प्लाजा के आंतरिक फर्निशिंग रखरखाव कार्य के लिए किया जाना आवश्यक है। माल की सूची का अधिकृत संचालन-वार विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	अधिकृत संचालन	वस्तु नाम	(Rs. लाख रुपये में)	निर्देश संख्या 50 के अनुसार अधिकृत संचालन
1	प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	कार्यालय कक्ष सेट (कार्यालय फर्नीचर)	3.00	निर्देश संख्या 50 की क्रम संख्या 22
2.	इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	निगरानी (क्वार्कसिटी कार्यालय के लिए)	3.45	निर्देश संख्या 50 की क्रम संख्या 05
	कुल:		6.45 लाख	467.14

2.1.3 वस्तुओं की सूची पर गौर करने पर इनमें से अधिकांश स्वीकृत अधिकृत परिचालन के लिए प्रासंगिक हैं।

2.1.4 विकासक ने 2023-24 के लिए क्यूपीआर और एचपीआर प्रस्तुत किया था। विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	विवरण	अवधि	जमा करने की तिथि
1.	क्यूपीआर	अप्रैल, 2023 से जून, 2023	26.07.2023
2.	क्यूपीआर	जुलाई, 2023 से सितम्बर, 2023	26.07.2023
3.	क्यूपीआर	अक्टूबर, 2023 से दिसंबर, 2023	22.01.2024
4.	एचपीआर	अप्रैल, 2023 से सितंबर, 2023	26.10.2023

2.1.5 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि विकासक ने फाइल पर 6.45 लाख रुपये के शुल्क मुक्त सामान की खरीद के लिए मंजूरी देने का अनुरोध किया था क्योंकि सामग्री की तत्काल आवश्यकता थी। इसलिए इसे अनुमोदन समिति के अनुसमर्थन के अधीन फाइल पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सुरेंद्र मलिक

UAC/Mohali&Chd/2023/

2.1.6 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र चौहान अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.1.7 विस्तृत परीक्षण के बाद अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 6.45 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और फाइल पर लिए गए निर्णय की पुष्टि की।

कार्यसूची मद संख्या 3:- परिचालन क्षेत्र में विलोपन हेतु प्रस्ताव-तत्संबंधी:

3.1 स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या क्यूएसईजेड (एसवीईपीएल)/इकाई/04/04/15/450 दिनांक 05.11.2015-
पैरेक्सेल इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3.1.1 यह बताया गया कि मेसर्स पैरेक्सेल इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (सह -विकासक) क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस मोहाली (पंजाब) में), विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की सेवा गतिविधियों अर्थात "आईटी/आईटीईएस" में एक इकाई स्थापित करने के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) नंबर क्यूएसईजेड (एसवीईपीएल)/इकाई/04/04/15/450 दिनांक: 05.11.2015 प्रदान किया गया था।

3.1.2 अब, मेसर्स पैरेक्सेल इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2024 के माध्यम से अपनी इकाई के क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की जांच की गई और विवरण नीचे दिया गया है: -

इकाई का नाम	मेसर्स पैरेक्सेल इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या और तारीख	स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या क्यूएसईजेड(एसवीईपीएल)/ इकाई /04/04/15/450 दिनांक 05.11.2015।
प्रारंभण की तिथि	16/09/2016
स्वीकृति पत्र (LOA) तक वैध	15.09.2026
क्या बांड-सह-एल्यूटी प्रस्तुत/स्वीकृत है	हाँ
इकाई का वर्तमान अनुमोदित क्षेत्र एवं स्थान	98752 वर्ग फुट तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी मंजिल
हटाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	3वीं मंजिल पर 22981 वर्ग फुट
क्या प्रस्तावित क्षेत्र को हटाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकासक की अनापत्ति प्रस्तुत की गई है	हाँ, पत्र दिनांक 18 04.2024।

सुरेंद्र मलिक

क्षेत्रफल में कमी के कारण	मार्च, 2020 में कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से, व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई थी, उसके बाद, नियमित अंतराल में कोविड-19 की लगातार लहर के कारण इकाई को कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्तमान में मार्च, 2020 से 100% कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं और परिचालन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त पड़ा हुआ है।		
क्षेत्रफल में कमी के कारण अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो	नहीं		
मार्च, 2023 तक इकाई का वर्षवार प्रदर्शन (एपीआर के अनुसार)।	रु. लाख में		
	वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य	एनएफई कमाई
	2022-23	15749.77	15416.19
	2021-22	12726.10	11166.74
	2020-21	14405.86	13763.08
रोजगार	938		

3.1.3 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि इकाई ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई के क्षेत्र को हटाने/घटाने के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क) का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

3.1.4 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वेणुगोपालन रेड्डी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.1.5 विस्तृत जांच के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क) की अनापति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करने के अधीन तीसरी मंजिल पर 22981 वर्ग फुट परिचालन क्षेत्र को हटाने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद संख्या 4- कैंटीन सुविधा के लिए निर्मित स्थान को पट्टे पर देने का प्रस्ताव-

4.1: स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या एफ2/7/2005-ईपीजेड दिनांक 22.05.2008- सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (सह-विकासक)

4.1.1 यह सूचित किया गया कि सह-विकासकर्ता मेसर्स सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से प्रस्तुत किया था कि उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) भवन की पहली मंजिल पर खाद्य कोर्ट से संबंधित कार्य परिसर तैयार होने के साथ पूरा हो गया था। संचालन के लिए, अब, वे खाद्य कोर्ट चलाने के लिए इस जगह को बॉन एपेटिट फूड्स एंड बेवरेजेज (विक्रेता) को पट्टे पर देने की योजना बना रहे हैं।

सुरेंद्र मलिक

4.1.2 सह-विकासक ने अपने अनुरोध के साथ खाद्य कोर्ट चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए विक्रेता के निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए हैं: -

- विक्रेता के साथ समझौते की प्रति
- विक्रेता द्वारा घोषणा/वचन पत्र
- पिछले तीन वर्षों के लिए विक्रेता द्वारा दाखिल किए गए पैन कार्ड और आईटीआर की प्रतिलिपि।

4.1.3 यह सूचित किया गया कि उपरोक्त के अनुरूप, सह-विकासक ने खाद्य कोर्ट विक्रेता को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 11 (5) के प्रावधान के अनुरूप अनुमोदन देने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

4.1.4 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि और इकाई प्रभारी श्री जतिंदर सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया।

4.1.5 विस्तृत जांच के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाइयों के विशेष उपयोग के लिए अपने खाद्य कोर्ट क्षेत्र को पट्टे पर देने के इकाई के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद संख्या 5-अधिकृत परिचालन में सेवाओं की अतिरिक्त सूची के लिए प्रस्ताव;

5.1: स्वीकृति पत्र (LOA) नंबर क्यूएसईजेड/इकाई/04/05/2020/780 दिनांक 05.02.2020- मेसर्स फास्टस्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड,

5.1.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स फास्टस्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना सक्षम प्रौद्योगिकी सेवाओं के अधिकृत संचालन के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। क्वार्कसिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), मोहाली में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई की स्थापना के लिए आवेदन जमा करते समय इकाई द्वारा प्रस्तुत फॉर्म-एफ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, फॉर्म-एफ में उल्लिखित सेवाएं "मशीन लर्निंग के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट" थीं।

5.1.2 अब, दिनांक 23.04.2024 को प्राप्त पत्र के माध्यम से इकाई ने अपनी मौजूदा सेवाओं का विवरण और सीपीसी कोड निम्नानुसार प्रस्तुत किया है: -

क्रमांक	आईटी/आईटीईएस सेवाएं	विवरण	सीपीसी कोड
1.	आईटी परामर्श और सहायता सेवाएँ	आईटी परामर्श और सहायता सेवाएँ	83131,32
2.	आईटी डिजाइन और विकास सेवाएँ	एप्लिकेशन, नेटवर्क और सिस्टम, सॉफ्टवेयर मूल के लिए आईटी डिजाइन और विकास	83141,42,43

सुरेंद्र मलिक

5.1.3 उपरोक्त के अलावा, इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 76 के अनुसार कुछ अन्य सेवाओं को अपने अधिकृत संचालन के रूप में शामिल करने का इरादा रखती है। सीपीसी कोड के साथ सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है: -

क्रमांक	आईटी/आईटीईएस सेवाएं	विवरण	सीपीसी कोड
1.	प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान सेवाएँ	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान और फार्मसी, कृषि विज्ञान, अन्य प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान सेवाएं,	81111, 81112, 81121, 81129, 81130, 81140, 81119
2.	प्राकृतिक और इंजीनियरिंग में अनुप्रयुक्त अनुसंधान सेवाएँ	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में अनुप्रयुक्त अनुसंधान सेवाएँ, जैव प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान और फार्मसी, कृषि विज्ञान और अन्य प्राकृतिक विज्ञान।	81111, 81112, 81121, 81129, 81130, 81140, 81119
3.	लेखांकन, लेखापरीक्षा और बहीखाता सेवाएँ	वित्तीय लेखापरीक्षा, लेखांकन, बहीखाता, पेट्रोल सेवाएँ।	82210, 82221, 82222, 82223

5.1.4 समिति को सूचित किया गया कि शामिल की जाने वाली प्रस्तावित सेवाएँ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 76 के अनुसार प्रदान की गई सीपीसी कोड की पुष्टि के साथ हैं।

5.1.5 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र चौहान और श्री सुदीप शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

5.1.6 विस्तृत जांच के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई के अधिकृत संचालन में सेवाओं की अतिरिक्त सूची को जोड़ने के लिए इकाई के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद संख्या 6- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना से बाहर निकलने के लिए इकाई के प्रदर्शन की निगरानी:

6.1 मेसर्स फिडेलिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सुरेंद्र मलिक

6.1.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स फिडेलिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)) मोहाली को 'सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं' नाम से अधिकृत परिचालन शुरू करने के लिए मैं 5वीं मंजिल पर इकाई स्थापित करने के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या क्यूएसईजेड/इकाई/04/01/14/266 दिनांक 17.02.2014 प्रदान किया गया था। इकाई ने बॉन्ड-कम-एल्यूटी निष्पादित किया जिसे सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया। इकाई ने 16.06.2014 से अपना परिचालन शुरू किया। इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) 15.06.2024 तक वैध है।

6.1.2 इकाई ने अपने पत्र दिनांक 23.10.2023 के माध्यम से बाहर निकलने के लिए आवेदन किया है। तदनुसार, इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.11.2023 और 22.01.2024 के माध्यम से, इकाई से बाहर निकलने के अपने प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया गया था।

6.1.3 उत्तर में, इकाई ने दिनांक 23.01.2024 और 25.03.2024 के पत्रों के माध्यम से उपरोक्त पैरा 2 में संदर्भित इस कार्यालय पत्र के अनुपालन में आवश्यक दस्तावेज / अनापति प्रमाण पत्र (NOC) / कानूनी उपक्रम/ स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए।

6.1.4 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि इकाई का वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की आंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा किया गया है और प्रदर्शन रिपोर्ट दिनांक 10.04.2024 नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीए फर्म से प्राप्त हुई है। सीए फर्म के अनुसार, वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं। एनएफई उपलब्धि की स्थिति इस प्रकार है:-

5 वर्षों के प्रथम ब्लॉक के लिए:-

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य (रुपये लाख में)	एनएफई आय (रुपये लाख में)	डीटीए बिक्री (रुपये लाख में)	लंबित विदेशी मुद्रा वसूली
2014-15	4102.02	3958.87	3097.23	0.00
2015-16	6464.75	6320.66	0.00	0.00
2016-17	7681.125	7557.07	0.00	0.00
2017-18	8651.88	8606.82	0.00	0.00
2018-19	10889.77	10855.45	0.00	0.00
कुल:	37789.54	37298.27	3097.23	0.00

5 वर्ष के दूसरे ब्लॉक के लिए

सुरेंद्र मलिक

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य (रुपये लाख में)	एनएफई आय (रुपये लाख में)	डीटीए बिक्री (रुपये लाख में)	लंबित विदेशी मुद्रा वसूली
2019-20	11743.20	11510.67	0.00	0.00
2020-21	16672.45	16383.99	0.00	0.00
2021-22	21585.50	21284.14	3.39	0.00
2022-23	25086.07	24785.23	0.00	0.00
2023-24 (31 तारीख तक जनवरी, 2024)	19457.81	19256.04	26.03	0.00
कुल:	94545.03	93220.07	29.42	0.00

6.1.5 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि इकाई की वर्ष 2014-15, 2021-22 और 2023-24 के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री थी।

6.1.6 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संतोष कुमार कामरा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि 2021-22 और 2023-24 की बिक्री स्कैप और पुराने लैपटॉप सामग्री की है। हालाँकि, उन्हें 2014-15 की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री के बारे में जानकारी नहीं थी और वह डीसी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय में विवरण जमा करेंगे।

6.1.7 विस्तृत जांच के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और इकाई के प्रतिनिधि को 2014-15 की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री के लिए रसीद विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें यह जानकारी भी शामिल थी कि क्या इनका भुगतान विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपये में किया गया था। समिति ने इकाई को एसईजेड योजना से बाहर निकलने की अनुमति देने से पहले फ़ाइल पर मुद्दे की जांच करने का निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक
(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

अबिरिन् मेनन
(ए बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त